[श्री० जगदम्बी प्रसाद यादव]

करीब पौलिटकनीक होगा और 84,885 के करीब इंजीनियरिंग कालेंजेज होंगे तो इस 55 करोड़ की आबादी के लिए जिसमें बहुत बड़ा भाग नवयुवकों का है और देश की आज आवश्यकता है कि इतने भाग को प्रशिक्षित करें, इसलिए तकनीकी इंस्टीट्यूशंस की बहुत आवश्यकता है ।

दूसरा श्रीमन्, इसी के साथ आप किसी तकनीकी इंस्टीट्यूशन को ले लें, जैसे मेरे एक माननीय मित्र ने कहा कि दिल्ली के अन्दर किसी इंस्टीट्यूशन को ले लें चाहे वह तकनीकी हो या नान-तकनीकी दोनों में आकाश पाताल का अन्तर है । ऐसा क्यों है ? मुंगेर जिले के जमालपुर अंचल में एक महदेवा मिडिल स्कूल है, वहां पर पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं तो उनके रहने के लिए होस्टल नहीं है । वहां पर छोटे छोटे लड़के, होनहार लड़के हैं लेकिन न केन्द्रीय सरकार, न प्रान्तीय सरकार आज तक होस्टल नहीं दे सकी है । मेरे जैसे आदमी तो 6 वर्ष से लिखते लिखते थक गये । आप यह विचार करें कि दिल्ली में तो विद्यार्थियों को हर तरह की सुविधा हो और दूसरी जगह इतना भी नहीं हो कि उनको होस्टल में रहने की सुविधा मिल सके । इसके साथ ही इतने सारे जो कालेजेज हैं वह जितने खर्चीले है उसका भार इस मंहगाई के युग में 5 परसेंट या 4 परसेंट परिवार वहन कर लें तो कर लें, लेकिन इससे अधिक परिवार वहन नहीं कर सकते । जो इंजीनियरी के लड़के पढ़ते हैं वहां पर आप इतनी उनकी हालत देखें तो उनके स्वास्थ्य की हालत में गिरावट है । वह पढ़ने में भी परेशानी हैं, खर्चा भी कैसे जुटायें, इसके लिए भी परेशान हैं । इस शिक्षा को आप कम से कम खर्चे पर कैसे लायेंगे, इसको आप देखने की कृपा करें ।

इसके अलावा उनको आज यह डर है कि उनकी शिक्षा उनकी राज्य की भाषा में या मातृभाषा में नहीं मिलती और जो राष्ट्र भाषा आप विकसित करना चाहते हैं वह अंग्रेजी के रहते नहीं हो सकती । अनंत काल तक आप अंग्रजी को शासन में चलायेंगे तो उस अंग्रेजी के द्वारा हमारे नौजवानों का कल्याण नहीं होगा । जो भाव उठता है वह अपनी भाषा में ग्रास्प होता है । जब तक आप अपनी भाषा में उनको शिक्षा देने का प्रबन्ध नहीं करेंगे और तकनीकी शिक्षा तब तक आप उनकी भाषा में नहीं देंगे जब तक कि उस भाषा में पुस्तकें तैयार न हों । आप देखेंगे कि पुस्तकों की तैयारी उसकी क्षेत्रीय भाषा में या राष्ट्र-भाषा हिन्दी में अभी तक पर्याप्त नहीं हुई है और जब तक पर्याप्त पुस्तकें उनकी भाषा में आप उपलब्ध न करें तब तक आप जो शिक्षा देना चाहेंगे वह नही दे सकते और तब तक उन्नति नहीं हो सकती ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI S. S. MARISWAMY) : Please sit down now. You can continue later. Now, Secretary to read messages.

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

I. THE NATIONAL CO-OPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 1973

II. THE MINES (AMENDMENT) BILL, 1972

III. THE COMPANIES (AMENDMENT) Box, 1972

SECRETARY : Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha :

(I)

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the National Co-operative Development Corporation (Amendment) Bill, 1973, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 26th luly, 1973."

(H)

"I am directed to inform Rajya Sabha that Lok Sabha, at its sitting held on the 27th July, 1973, has

adopted the following motion further i extending the time for presentation of \ the Report of the Joint Committee of the Houses on the Mines (Amendment) Bill, 1972 :

MOTION

That this House do further extend upto the 18th August, 1973, the time for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Bill further to amend the Mines Act, 1952.' **

(III)

"I am directed to inform Rajya Sabha that Lok Sabha, at its sitting held on the 27th July, 1973, has adopted the following motion further extending the time for presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Companies (Amendment) Bill, 1972 :

MOTION

'That this House do further extend upto the last day of the current session, the time for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Bill further to amend the Companies Act, 1956, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969.'"

Sir, I lay a copy of the National Co-operative Development Corporation (Amendment) Bill, 1973 on the Table.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI S. S. MARISWAMY) : The House stands adjourned till 11.00 A.M. on Monday, the 30th July, 1973.

The House then adjourned at five of the clock till eleven of clock on Monday, the 30th July, 1973.

GIPN—S5—11 RSS(ND)/73—19-10-73—595